क्रम-संख्या--259

रजि० नं० एल. डब्लू./एन. पी. 561
लाइसेन्स नं० डब्लू पी.--41
लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 4 अप्रैल, 1991
चैत्र 14, 1913 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 442/सत्रह-वि-1-1(क)38-1990

लखनऊ, 20 मार्च, 1991

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1991 पर दिनांक 19 मार्च, 1991 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 1991 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) अधिनियम, 1991

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 1991)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, 1951 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बयालिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) अधिनियम, 1991 कहा जायेगा।

(2) यह 7 अगस्त, 1989 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 1952 की धारा 53 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, 1951 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 53 में, उपधारा (1) में शब्द "बारह वर्ष" के स्थान पर शब्द "चौदह वर्ष" रख दिये जायेंगे।

वैधता

3—शंकाओं के निराकरण के लिए एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि मूल अधिनियम की धारा 53 के अधीन नियुक्त किये गये नियंत्रक को, जो 8 अगस्त, 1989 के ठीक पूर्व उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (चिकित्सा प्रणाली) बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन कर रहा हो, तब तक नियंत्रक के रूप में विधिमान्यतः निरन्तर नियुक्त समझा जायेगा, जब तक कि कोई अन्य व्यक्ति उपर्युक्त धारा के अधीन नियंत्रक के रूप में नियुक्त न कर दिया जाय और 8 अगस्त, 1989 के पश्चात् किसी भी समय, ऐसे नियंत्रक द्वारा कृत कोई कार्य या कार्यवाही विधिमान्य होगी, मानो इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

निरसन और अपवाद

4—(1) उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) अध्यादेश, 1990 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर अध्याद संख्या सन् 19

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
नारायण दास,
सचिव।

No. 442(2)/XVII-V-1—1 (KA)-38-1990

Dated Lucknow, March 20, 1991

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Homoeopathic Medicine (Sanshodhan) Adhiniyam, 1991 (Uttar Pradesh Adhiniyam, Sankhya 12 of 1991) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 19, 1991.

THE UTTAR PRADESH HOMOEOPATHIC MEDICINE (AMENDMENT) ACT, 1991

[U. P. Act no. 12 of 1991]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN
ACT

further to amend the Uttar Pradesh Homoeopathic Medicine Act, 1951.

It is hereby enacted in the Forty-second Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Homoeopathic Medicine (Amendment) Act, 1991.

(2) It shall be deemed to have come into force on August 7, 1989.

Amendment of section 53 of U. P. Act no. 8 of 1952

2. In section 53 of the Uttar Pradesh Homoeopathic Medicine Act, 1951, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (1), *for* the words "twelve years" the words "fourteen years" shall be *substituted.*

Validation

3. "For the removal of doubts it is hereby declared that the Controller appointed under section 53 of the principal Act, and exercising and performing the powers and duties of the Uttar Pradesh Homoeopathic Medicine Board immediately before August 8, 1989, shall be deemed to have validly continued to be appointed as Controller until another person is appointed as Controller under the aforesaid section and anything done or any action taken by such Controller at any time on or after August 8, 1989 shall be valid as if the provisions of the principal Act as amended by this Act were in force at all material times.

U. P. Ordinance No. 25 of 1990.

Repeal and saving

4. (1) The Uttar Pradesh Homoeopathic Medicine (Amendment) Ordinance, 1990 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
NARAYAN DAS,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०--ए०पी० 350 सा० (विधा०)--(3628)-1991-850(मैक०)।